कार्यालय : महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्राँक सं0:प्रशिक्षण प्रकोष्ठ 2012–13/ लखनऊ, दिनाँक : 03,जनवरी, 2017

–: कार्यालय ज्ञाप :–

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) के 728 पदों पर चयन हेतु दिनांक 30.08.2009 को आयोजित की गयी परीक्षा में महानिदेशालय के पत्र संख्या–प्र.शि.प्रको./10033, दिनांक 28.07.2009 के द्वारा मैसर्स मैनेजमेण्ट कण्ट्रोल सिस्टम, 29, विधानसभा मार्ग, लखनऊ को निम्नलिखित कार्य दिये गये थे :–

1. उत्तर पत्रक (ओ0एम0आर0 शीट) की व्यवस्था करना।
2. उत्तर पत्रक/ओ0एम0आर0 शीट का मूल्यांकन करना/परीक्षाफल तैयार करना, जिसमें अभ्यर्थियों की चयनित सूची को कैटेगरी वाइज मेरिट सूची तैयार करना सम्मिलित है।
3. चयनित अभ्यर्थियों के चयन पत्र (फोटोयुक्त) तीन प्रतियों में बनाना।
4. प्रतीक्षा सूची बनाया जाना तथा प्रतीक्षा सूची से चयनित अभ्यर्थियों के फोटोयुक्त चयन का पत्र तैयार करना।
5. प्रशिक्षण केन्द्रों को भेजे जाने वाली सूची तैयार करना।

यह कार्य एजेन्सी को उनके द्वारा प्रस्तावित दरों को अनुमोदित कर करने की अपेक्षा की गयी थी।

इस परीक्षा में योजित वाद में मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ द्वारा सफल अभ्यर्थियों के ओ0एम0आर0 शीट उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये थे। इन अभ्यर्थियों की ओ0एम0आर0 शीट विभाग में उपलब्ध नही पायी जा रही हैं। इसके सम्बंध में शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–डब्ल्यू–43/पांच–1–16–06 रिट/12, दिनांक 19.05.2016 द्वारा निम्नलिखित तथ्यों 1. प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) पद पर चयन हेतु आयोजित परीक्षा दिनांक 30.08.2009 से सम्बंधित सफल एवं असफल अभ्यर्थियों के ओ0एम0आर0 शीट की उपलब्धता, 2. यदि उक्त परीक्षा से सम्बंधित अभ्यर्थियों (3628, विशेष अपील सं0–695/2012, मनोज श्रीवास्तव बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.05.2016 में वर्णित) की ओ0एम0आर0 शीट किन्हीं कारणों से उपलब्ध नही हो पाती है, तो उसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण हेतु श्री मानवेन्द्र सिंह, विशेष सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुये जांच संस्थित की गयी थी। जांच में जांच अधिकारी द्वारा निम्न निष्कर्ष निकाला गया :–

जांच से स्पष्ट है कि मैसर्स मैनेजमेण्ट कण्ट्रोल सिस्टम द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से नही किया गया है, जिसकी वजह से ओ0एम0आर0 शीट निदेशालय अथवा न्यायालय में अनुपलब्ध है। नियमानुसार मैसर्स मैनेजमेण्ट कण्ट्रोल सिस्टम प्रा0लि0 द्वारा समस्त ओ0एम0आर0 शीट निदेशालय को उपलब्ध करा दी जानी

चाहिये थी जोकि नही करायी गयी। अतः पूरी ओ0एम0आर0 शीट के गायब होने में मैसर्स मैनेजमेण्ट कण्ट्रोल सिस्टम प्रा0लि0 की पूर्ण रूप से दोषी है, जिसके विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है।

मैसर्स मैनेजमेण्ट कण्ट्रोल सिस्टम प्रा0लि0 ने मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के निर्देशों के उपरान्त भी अभी तक न तो मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ के समक्ष परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की ओ0एम0आर0 शीट प्रस्तुत कर पाये हैं और न ही विभाग को उपलब्ध करा पाये हैं।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त प्रकरण में की गयी जांच आदि को दृष्टिगत रखते हुये मैसर्स मैनेजमेण्ट कण्ट्रोल सिस्टम को भविष्य के लिये काली सूची में सम्मिलित किया जाता है।

निदेशक (प्रशिक्षण)

पृष्ठाँकन सं0: प्रशिक्षण प्रकोष्ठ 2012–13/08–10 तद्दिनाँक ।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग–1
2. प्रभारी, एन0आई0सी0, लखनऊ।
3. मैसर्स मैनेजमेण्ट कण्ट्रोल सिस्टम प्रा0लि0, 29 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

अपर निदेशक (प्रशिक्षण)